देश की ताप विद्युत परियोजनाओं के कार्यकरण में सुधार लाने की योजना

819. **श्री रणजीत सिंह :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ ताप विद्युत संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है ;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन पर कुल कितनी धनराशि का व्यय किया जाना है और परियोजनाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप देश को किस प्रकार से लाभ होने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां। देश में विद्यमान कुछ पुराने ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार किए जाने के लिए सोपान-1 और सोपान-2 कार्यक्रमों के रूप में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमें तैयार की गई थी।

(ख) 34 पुराने ताप विद्युत केन्द्रों में कुल मिलाकर 13,585.5 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता के 164 ताप विद्युत यूनिटों के लिए सोपान-1 के अधीन सितम्बर, 1984 में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान क्रियान्वयन हेतु 46 पुराने ताप विद्युत केन्द्रों में कुल मिलाकर 19,975.5 मे० वा० अधिष्ठापित दक्षता के 199 ताप विद्युत यूनिटों के लिए सोपान-2 कार्यक्रम के पहले शुरूआत की जा चुकी है।

(ग) और (घ) सोपान-1 कार्यक्रम के अधीन स्कीमों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किए जाने की आशा थी। सोपान-2 कार्यक्रम को 8वीं योजनावधि के दौरान क्रियान्वित किया जाना है। सोपान-1 कार्यक्रम की स्वीकृत अनुमानित लागत 1083 करोड़ रुपए है। 8वीं योजनावधि के दौरान 1328 करोड़ रु० की राशि व्यय किए जाने की आशा है। सोपान-1 और सोपान-2 नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अधीन क्रमशः 7,000 मिलियन यूनिट और 8,000 मिलियन यूनिट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए और संयंत्र भार अनुपात में 7 प्रतिशत और 5 प्रतिशत तक सुधार होने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राज्य विद्युत बोर्डों के विद्युत संयंत्रों का संयंत्र उद्भार गुणक

820. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन : क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 88.5 प्रतिशत तक संयंत्र उद्भार गुणक प्राप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश के विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों द्वारा संचालित विद्युत संयंत्रों का संयंत्र उद्भार गुणक केवल 20 प्रतिशत तक ही है ;

(ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन से राज्य विद्युत बोर्ड हैं जिनका संयंत्र उद्भार गुणक 40 प्रतिशत से कम आंका जा रहा है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कम संयंत्र उद्भार गुणक इन विद्युत बोर्डों की शोचनीय आर्थिक स्थिति होने का एक प्रमुख कारण है, यदि हां, तो क्या इन विद्युत बोर्डों को अपने संयंत्र

उद्भार गुणक की प्रतिशतता में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिए गए हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौर क्या है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) 1991-92 में जबकि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का औसत संयंत्र भार अनुपात (पी०एल० एफ०) 70.15 था तथापि जनवरी, 1992 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 82.29 का इष्टतम संयंत्र भार अनुपात प्राप्त किया।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सिंगरौली और रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्रों ने 88.50 से अधिक का संयंत्र भार अनुपात प्राप्त किया। सिंगरौली ने 1991 में 91.29 का संयंत्र भार अनुपात तथा रिहन्द ने जनवरी, 1992 में 100.84 का संयंत्र भार अनुपात प्राप्त किया जो किसी एक महीने के अब तक के इनके द्वारा प्राप्त किए गए संयंत्र भार अनुपात से सर्वाधिक है।

(ख) बिजली बोर्डों उपक्रमों के अधिकांश संयंत्रों का वार्षिक संयंत्र भारत अनुपात 20 से अधिक था और 1991-92 के लिए राज्य क्षेत्र (राज्य बिजली बोर्डों) का वार्षिक संयंत्र भार अनुपात 50.6 था।

(ग) 1991-92 के दौरान निम्नलिखित संगठनों का संयंत्र भार अनुपात 40 से कम था :—

संगठन का नाम	संयंत्र भारत अनुपात (%)
1. बिहार राज्य बिजली बोर्ड	21.3
2. उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	30.2
3. पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	30.7
4. असम राज्य बिजली बोर्ड	24.7

93-L/P(N)30RSS—16

(घ) राज्य बिजली बोर्डों के संयंत्र भारत अनुपात में सुधार होने से इनका कार्यकरण भी सुधरेगा। अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम समुपयोजन किए जाने के लिए किए गए उपायों (1) पुराने यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना; (2) संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए बिजली बोर्डों की सहायता करना; (3) अपेक्षित गुणवत्ता वाला पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करना; (4) प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और (5) पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना शामिल है।

Supply of Electricity from Northern Grid to Bihar by NTPC

821. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 163 given in the Rajya Sabha on 25th February, 1992 and state whether it is a fact that the NTPC has decided to stop supply of electricity from northern grid to Bihar since arrears of amount have not been paid ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): On 23-3-92, NTPC issued a notice for dis-connection of power supply to Bihar State Electricity Board (BSEB) by 26-4-92, as the BSEB had not honoured the commitments made for payment of dues to NTPC. The arrears payable by BSEB to NTPC as on 31st March 1992 work out to Rs. 264.61 crores amounting to 13.4 months of billing (plus a surcharge of Rs. 77.99 crores). On subsequent assurance of Government of Bihar for regular payment of current bills, for payment of bill for March 1992 along with the bill for April 1992 and for evolving a procedure to clear the arrears in a phased manner, NTPC deferred the proposal for disconnection till May 1992.